



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार— 249404

पत्रांक ::662/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20

दिनांक ::10 दिसम्बर, 2020

विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 420/XXX(2)/2020-30(10)2019 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के आलोक में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020, विज्ञप्ति संख्या: 622/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 एवं विज्ञप्ति संख्या: 642/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के अन्तर्गत विज्ञापित उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2020 हेतु निर्धारित ऊपरी आयु सीमा की आगणन तिथि 01 जुलाई, 2020 को परिवर्तित करते हुए 01 जनवरी, 2020 किया जाता है।

विज्ञापन की अन्य शर्तें व नियम यथावत रहेंगे।

Sd/-
(कर्मन्द्द्र सिंह)
सचिव।